1

(146)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा जिला रीवा(म0प्र0)

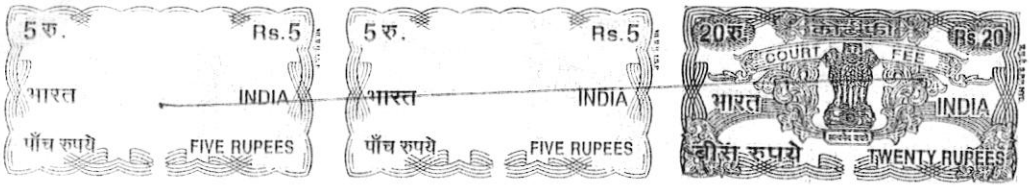

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 20 रु. Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

2024 Rs 30/-

गुलाब सिहं तनय पर्वत सिहं निवासी ग्राम मड़वार, तहसील रामनगर जिला– सतना म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

अधि0 श्री रघुवंश प्रताप सिंह द्वारा पेश/30.6.17

बनाम

1. रामखेलावन साकेत पिता संग्राम साकेत निवासी ग्राम मड़वार,तहसील अमरपाटन,जिला सतना म0प्र0

2. म0प्र0शासन ....गैर निगरानीकर्तागण

रजिस्ट्रार राजस्व मण्डल म0प्र0 (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार बृत्त बड़वार ,तहसील रामनगर ,जिला सतना म0प्र0 राजस्व प्रकरण कमांक 8ए5/13-14 आदेश दिनांक 23.7.014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर,

निगरानी ज्ञापन के आधार निम्न हैः-

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि भूमि आराजी नम्बर 18/375/1रकवा0300हे0स्थितमौजामड़वार,प0ह0हरदुवा,रा0नि0मं0बड़वार, तहसील रामनगर जिला सतना म0प्र0स्थित भूमि के संयुक्त रूप से पूर्व मे रामखेलावन,मुन्ना,रामसुजान,पिता संग्राम दर्ज राजस्व अभिलेख थे। आपसी विभाजन मे 18/375 /1 क रकवा 0.150हे0 पूर्व तरफ एवं भूमि आराजी नम्बर 18/375/1ख रकवा 0.150हे0 रामसुजान को पश्चिम तरफ मिली,उक्त मूल नम्बर 18/375/1 के बीचो बीच मे गोरसारी बरही सड़क शासन द्वारा निकाली गयी है,जिस सड़क मे रामसुजान के हिस्से मे से 0.050हे. भूमि सड़क मे अधिग्रहीत करली गयी ,शेष 0.100हे0 भूमि सड़क के पश्चिम तरफ कब्जे मे बची रही, जिस बची हुयी भूमि को निगरानीकर्ता दिनांक 13.6.014 को बिक्रय कर

दिया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निग0 / सतना / 17 / 2024

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16—8—2017	आवेदक अभिभाषक ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। तहसीलदार वृत्त बडवार तहसील रामनगर जिला सतना के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30—7—2014 की सत्यापित प्रति एवं अन्य सत्यापित दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के सत्यापित सूचना पत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को विधिवत सूचना जारी की गई है जिसपर उसके हस्ताक्षर अंकित है। ऐसी स्थिति में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। आवेदक द्वारा तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30—7—2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में 33 माह विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की है। विलम्ब के संबंध में समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये हैं। दर्शित परिस्थतियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	